

सं. ए-27012/01/2022- स्था. (एएल)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, ओल्ड जे.एन.यू कैंपस, नई दिल्ली

दिनांक: 17.02.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिव्यांग बच्चों वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ते के भुगतान के लिए इस विभाग के दिनांक 17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27012/02/2017-स्था. (एएल) के अनुक्रम में, उन दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए बाल शिक्षा भत्ते के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नलिखित परिस्थितियों में शारीरिक रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं:

- i) ऐसे मामले में, जहां दिव्यांग बच्चा विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है, उसके घर पर शिक्षा / विशेष शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में सीईए की प्रतिपूर्ति, दिनांक 17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27012/02/2017-स्था. (एएल) के पैरा 2(डी) के तहत निर्धारित की गई सीईए की सामान्य दरों से दोगुनी दर पर की जाएगी।
- ii) ऐसे मामलों में बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति, शिक्षक/प्रशिक्षक आदि द्वारा भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी द्वारा अपने निवास पर अपने बच्चे की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्व-प्रमाणन के अधीन होगी।
- iii) दिनांक 17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27012/02/2017-स्था. (एएल) की अन्य सभी नियम एवं शर्तें समान रहेंगी।

1. उपर्युक्त निर्देश 17.02.2023 से प्रभावी होंगे।

(सुनील कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग